सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुड़ामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2025/76 दर्ज तिथिः–15.05.2025

1. लुम्बाराम पुत्र धनाराम
   जाति जाट साकिन हुडासर पटवार मण्डल बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी
2. सताराम पुत्र भगाराम
3. हरजीराम पुत्र भगाराम
4. मगाराम पुत्र भगाराम
5. मदाराम पुत्र भगाराम
6. कोजाराम पुत्र मूलाराम
7. गोरधनराम पुत्र मूलाराम
8. भीखाराम पुत्र मूलाराम
9. लिखमाराम पुत्र मूलाराम
10. धनीदेवी पत्नी मूलाराम
11. अचलाराम पुत्र अमरराराम
12. खूमाराम पुत्र अमरराराम
13. चूनाराम पुत्र अमरराराम
14. हनुमानराम पुत्र अमरराराम
15. पनीदेवी पत्नी अमरराराम
16. मेहराराम पुत्र बागाराम
    कौम जाट साकिन हुडासर पटवार मण्डल बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

..................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री चिमनसिंह चौधरी
अप्रार्थीगणः—एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:52:08 IST
Reason: SelfAttested

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—15.05.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि

- खातेदारी आराजी खसरा संख्या 114 / 13 / 7.4057 है0 मौजा हुडासर तहसील गुडामालानी प्रार्थी की खातेदारी आराजी है।
- खातेदारी आराजी खसरा संख्या 195 / 78 / 0.3750 है0, 200 / 153 / 2.2702 है0, 207 / 78 / 0.0755 है0 मौजा हुडासर तहसील गुडामालानी अप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी आराजी है।
- खातेदारी आराजी खसरा संख्या 12 / 1.0441 है0, 194 / 78 / 0.3750 है0, 199 / 153 / 0.7163 है0, 206 / 78 / 0.0755 है0, 09 / 0.5099 है0 मौजा हुडासर तहसील गुडामालानी अप्रार्थी संख्या 03 की खातेदारी आराजी है।
- खातेदारी आराजी खसरा संख्या 191 / 78 / 0.3750 है0, 198 / 153 / 1.2587 है0, 204 / 78 / 0.0755 है0, 8 / 1.0117 है0 मौजा हुडासर तहसील गुडामालानी अप्रार्थी संख्या 04 की खातेदारी आराजी है।
- खातेदारी आराजी खसरा संख्या 193 / 78 / 0.3750 है0, 205 / 78 / 0.0755 है0, 69 / 1 / 0.4937 है0, 71 / 0.0081 है0, 72 / 0.0162 है0, 73 / 0.7365 है0, 74 / 1.1655 है0 मौजा हुडासर तहसील गुडामालानी अप्रार्थी संख्या 05 की खातेदारी आराजी है।
- खातेदारी आराजी खसरा संख्या 10 / 0.2266 है0, 190 / 78 / 0.3750 है0, 196 / 153 / 0.5655 है0, 197 / 153 / 1.4772 है0, 203 / 78 / 0.0756 है0 मौजा हुडासर अप्रार्थी संख्या 06 ता 10 की खातेदारी आराजी है।
- खातेदारी आराजी खसरा संख्या 189 / 78 / 0.3750 है0, 202 / 78 / 0.0756 है0 मौजा हुडासर अप्रार्थी संख्या 11 ता 15 की खातेदारी आराजी है।
- उक्त आराजी पूर्व में भगा पुत्र पेमा एवं धना पुत्र पेमा के सामलाती आराजी खसरा संख्या 114 / 13 थी। उक्त मूल खसरा संख्या 114 / 13 से विभक्त होकर ऊपर वर्णित हाल खसरा संख्यान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं।
- कि मूल खसरा संख्या 114 / 13 मौजा हुडासर में से राज्य सरकार के पक्ष में 01 बीघा भूमि समर्पित की गई थी। जिसके वर्तमान खसरा संख्या 150 / 114 दर्ज रिकॉर्ड हैं। परंतु उक्त समर्पित खसरे की तरमीम करते वक्त लट्ठा ट्रेस में तरमीम 01 बीघा के स्थान पर 01.50 बीघा अंकित कर दी गई।
- कि मौके पर विभक्त खसरों की तरमीम में सम्पूर्ण एक बीघा की भूमि प्रार्थी के वालिद धना पुत्र चेना के खाते से कम कर रकबा 1.50 बीघा भूमि की तरमीम राजस्व नक्शा में गलत तरमीम अंकित कर दी गई। जिससे मौके एवं रिकॉर्ड में भिन्नता आ गई।

2. असल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम समर्पण दस्तावेजात् के अनुसार होनी अपेक्षित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबे के विपरीत खसरा संख्या

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:52:08 IST
Reason: SelfAttested

150 / 114 की ऑनलाइन तरमीम मौके पर कब्जे के अनुसार की जावे। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम समर्पण दस्तावेजात के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामिल के अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम समर्पण दस्तावेजात के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 699 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 699 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

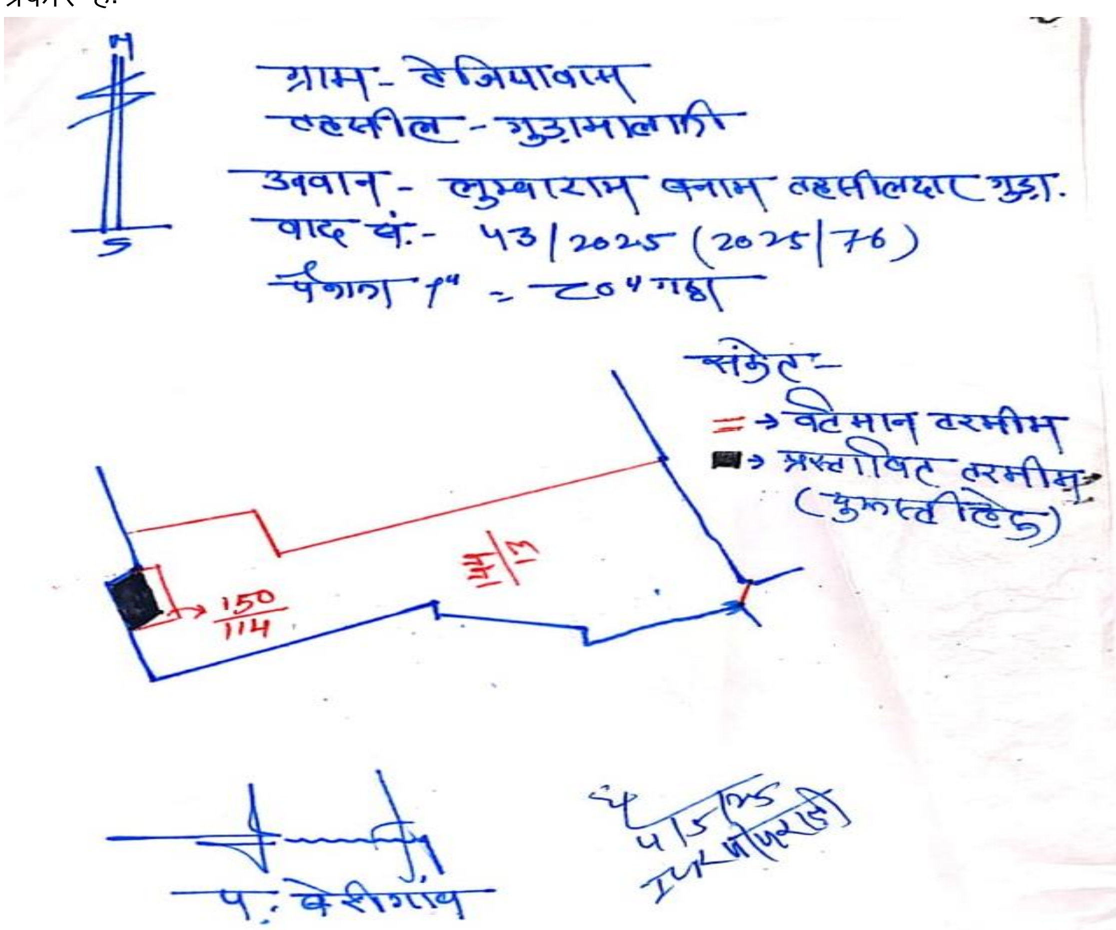

6. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 699 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

- कि ग्राम हुडासर के आराजी खसरा संख्या 150 / 114 रकबा 0. 1619 है0 (01 बीघा) की नक्शा लट्ठा ट्रेस में कब्जा बरारी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:52:08 IST
Reason: SelfAttested

गई। उक्त आराजी खसरा संख्या 150/114 का रकबा वर्तमान जमाबंदी व भू—राजस्व नक्शा लट्ठा ट्रेस में भिन्नता पाई गई।

- ग्राम हुडासर के आराजी खसरा संख्या 150/114 का रकबा नक्शा लट्ठा ट्रेस में 0.2428 है0 पाया गया। जबकि उक्त खसरा का वर्तमान जमाबंदी में रकबा 0.1619 है0 अर्थात जमाबंदी व राजस्व नक्शा में रकबा भिन्नता को पुष्ट करने के लिये आराजी खसरा संख्या 150/114 की तरमीम संलग्न नक्शा अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।
- कि आराजी खसरा संख्या 150/114 पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अनुसार 0.1619 है0 रकबा छोड़कर शेष पर कब्जा काश्त है।

7. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/699 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/699 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा द्वारा प्रस्तावित तरमीम से समर्पण आदेश के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम का अंकन होगा। साथ ही मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी रिपोर्ट प्रार्थी समर्पित खसरा संख्या 150/114 रकबा 0.1619 है0 को छोड़कर वर्तमान लट्ठा ट्रेस में शेष भूमि पर काबिज काश्त है। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/699 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू.अ./2025/699 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 15.05.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:52:08 IST
Reason: SelfAttested